



Neutral Citation No. - 2026:AHC:5608

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 41039 / 2025

यूसुफ उर्फ बोना

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी

आवेदक पक्ष के अधिवक्ता : पवनेश कुमार यादव, प्रशांत श्रीवास्तव, सोनू यादव
विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अरिमर्दन यादव तथा राज्य-प्रतिवादी के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे मुकदमा अपराध संख्या 174 वर्ष 2024, धारा 2/3, उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना ककोड़, जनपद बुलंदशहर में, विचारण की लंबित अवधि के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे दुर्भावनावश इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। गैंग चार्ट में वर्णित आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में दिया गया है। यह भी कहा गया कि गैंग चार्ट में उल्लिखित सभी मामलों में आवेदक को पूर्व में जमानत प्राप्त हो चुकी है।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (ख) में वर्णित किसी भी गिरोह की गतिविधियों में न तो सहयोग किया है और न ही उकसाया है। उपर्युक्त मामले के अतिरिक्त आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह भी कहा गया कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो दिनांक 28.08.2024 से जेल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में निरुद्ध है, यह आश्वासन देता है कि जमानत मिलने पर वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया कि न्यायालय में मामलों की अधिकता के कारण विचारण के शीघ्र निष्पादन की संभावना नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2020 (11) एस.सी.सी. 648 के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना मात्र जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता।

विपरीत पक्ष में, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता जमानत प्रार्थना का विरोध नहीं कर सके तथा आवेदक के विरुद्ध गैंग चार्ट में दर्शाए गए मामले के अतिरिक्त कोई अन्य मामला इंगित नहीं कर सके।

समस्त तथ्यों, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यह जमानत दिए जाने हेतु उपयुक्त प्रकरण है। अतः वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

आवेदक **यूसुफ उर्फ बोना** को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदक किसी भी व्यक्ति, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों के प्रकटीकरण से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित/डराए-धमकाएगा नहीं।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निम्न तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा—

(क) वाद के उद्घाटन के समय,

(ख) आरोप गठन के समय,

(ग) बयान दर्ज किए जाने के समय।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) आवेदक यह प्रत्याभूति प्रस्तुत करेगा कि जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, उस दिन वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निस्तारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे वाद के गुण-दोष पर कोई अभिव्यक्ति नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय स्वतंत्र रूप से, अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर, इस आदेश से अप्रभावित रहते हुए अपना निष्कर्ष निकालने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(अशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

09 जनवरी 2026

पीकेएस